पत्रांक–01 / स्था० (विविध बिपार्ड)–08 / 2025 (पार्ट) / न०वि० एवं आ०वि०

*ई–मेल स्पीड पोस्ट / निबंधित डाक

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत नगर निकाय में पदस्थापित कुल 07 नवनियुक्त सहायक अभियंताओं का बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, कुशडीहरा, गयाजी द्वारा आयोजित आवासीय प्रशिक्षण पर हुए व्यय की कुल राशि ₹18,70,260.00 (अठारह लाख सत्तर हजार दो सौ साठ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2025–26 में तत्काल राशि ₹11.00 लाख (ग्यारह लाख रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः– स्वीकृत।

बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), गया जी द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के कुल 07 नवनियुक्त सहायक अभियंताओं का आवासीय प्रशिक्षण दिया गया है। उक्त प्रशिक्षण के लिए बिपार्ड के पत्रांक–8715, दिनांक–25.12.2025 द्वारा ₹18,70,260/- (अठारह लाख सत्तर हजार दो सौ साठ रूपये) मात्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

बिपार्ड के उक्त अनुरोध के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल राशि ₹18,70,260/- (अठारह लाख सत्तर हजार दो सौ साठ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए उपलब्ध बजट उपबंध के आलोक में सहायक अनुदान के रूप में तत्काल ₹11,00,000/- (ग्यारह लाख रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है। शेष राशि बजट उपबंध प्राप्त होने के बाद आवंटित की जायेगी।

2. बिपार्ड के उक्त अनुरोध के आलोक में उपलब्ध बजट उपबंध में से सहायक अनुदान के रूप में तत्काल निम्न तालिका के कॉलम–5 में अंकित राशि ₹1100000.00 (ग्यारह लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :–

क्रमांक	प्रशिक्षण का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, कुशडीहरा, गयाजी द्वारा आयोजित आवासीय प्रशिक्षण	18,70,260.00	0.0	11,00,000.00	7,70,260.00

अर्थात कुल स्वीकृत ₹1100000.00 (ग्यारह लाख रूपये) मात्र।

3. आवंटित कुल राशि **₹11.00 लाख (ग्यारह लाख रूपये) मात्र** की निकासी **एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे,** जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक–227, दिनांक–28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि बुडा, के PL खाता सं०–PBBPLA015, HoA संख्या–00-8448-00-120-0035-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।*** **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। तत्पश्चात बुडा द्वारा राशि बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, गया के Bank Details (Name of Account Holder-Bihar Institute of Public Administration & Rural Development (BIPARD), Account No-50220029265768, IFSC Code-BDBL0001543, Name of Bank-Bandhan Bank Ltd, Swarajpuri Road, Branch-Gaya, Bihar) को हस्तांतरित की जायेगी।**

4. बिहार कोषागार संहिता के नियम 286 के आलोक में यथा बी0टी0सी0 फार्म संख्या–46 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–1496/वि (2), दिनांक–22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक–63, दिनांक–11.01. 2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम 04–15/2009– 9736, दिनांक–19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।

6. स्वीकृत कुल **₹11.00 लाख (ग्यारह लाख रूपये) मात्र** में से

(i) 10.00 लाख की निकासी मांग संख्या–48 बजट शीर्ष–2251–सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ, उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–090–सचिवालय–उपशीर्ष–0005–नगर विकास एवं आवास विभाग हेतु विपत्र कोड–**48-2251000900005,** विषय शीर्ष–20.03 प्रशिक्षण व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि से की जाएगी।

(ii) 01.00 लाख रूपये की निकासी मांग संख्या–48 बजट शीर्ष–2217–शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–001– निदेशन और प्रशासन–उपशीर्ष–0002–नगर और प्रादेशिक आयोजन की स्थापना हेतु विपत्र कोड–**48-2217800010002,** विषय शीर्ष–20.03 प्रशिक्षण व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि से की जाएगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–01/स्था० (योजना विविध–बिपार्ड)–08/2025 के पृष्ठ सं०–37/टि० पर दिनांक–17.02.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–39/टि० पर दिनांक–26.02.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था० (विविध–बिपार्ड)–08/2025 513 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–06/03/26

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/वरीय सहायक निदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थाान, कुशडीहरा, गयाजी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, 02 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3

सरकार के संयुक्त सचिव।